International Journal of Physical and Social Science
Vol. 16 Issue 6, June 2026,
ISSN: 2249-5894 Impact Factor: 8.644
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

"ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण : सामाजिक परिवर्तन और सुशासन के संदर्भ में एक अध्ययन"

पूजा कुमारी (रिसर्च स्कॉलर), राजनीति विज्ञान विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर(बिहार)
विवेक कुमार (रिसर्च स्कॉलर), राजनीति विज्ञान विभाग, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर(बिहार)

प्रस्तावना –
ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण समकालीन सामाजिक परिवर्तन तथा सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आया है। लंबे समय तक ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती रही, किंतु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण ने उन्हें निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएँ स्थानीय शासन, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सामाजिक मुद्दों के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाने लगी हैं। महिला नेतृत्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, लैंगिक समानता और सामुदायिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन को गति दी है। साथ ही, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण न केवल सामाजिक संरचना में परिवर्तन ला रहा है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर सुशासन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
मुख्य शब्द–महिला नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत, सामाजिक परिवर्तन, सुशासन,पंचायती राज।

भूमिका–
भारतीय ग्रामीण समाज परंपरा एवं परिवर्तन के मध्य निरंतर विकसित होती एक गतिशील संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। इस संरचना में महिलाओं की भूमिका लंबे समय तक घरेलू दायित्वों तक सीमित रही, किंतु समकालीन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संवैधानिक प्रावधानों तथा सामाजिक चेतना के विस्तार ने इस परिदृश्य को उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित किया है। विशेषतः स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण शासन के स्वरूप को अधिक सहभागी, उत्तरदायी और समावेशी बनाने की दिशा में नई संभावनाएँ निर्मित की हैं। महिला नेतृत्व का उदय केवल प्रतिनिधित्व का विस्तार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता एवं विकासोन्मुखी प्रशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करने का माध्यम भी है।

जब महिलाएँ पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों एवं सामुदायिक संगठनों के माध्यम से नेतृत्व करती हैं, तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण तथा सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। इससे शासन की गुणवत्ता में सुधार होता है साथ ही साथ निर्णय प्रक्रिया भी अधिक सहभागी एवं समावेशी होती चली जाती है। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। जिसने शिक्षा, आर्थिक अवसरों एवं राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास का विकास किया है, जिससे वे पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देने लगी हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा तथा लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिलाओं की सक्रियता ने ग्रामीण समाज में सकारात्मक परिवर्तन को गति दी है। इसके परिणामस्वरूप परिवार और समुदाय स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह शोध इस बात को समझने का प्रयास करेगा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी किस प्रकार ग्रामीण समाज की संरचना को प्रभावित कर रही है तथा किस हद तक यह परिवर्तन सुशासन की स्थापना में योगदान दे रहा है। साथ ही, यह अध्ययन उन संभावनाओं का भी परीक्षण करेगा जो भविष्य में ग्रामीण विकास को अधिक समावेशी और संतुलित बना सकती हैं।

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व का ऐतिहासिक विकास–
ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व का विकास एक क्रमिक सामाजिक–राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसकी जड़ें भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना में निहित हैं। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किंतु राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित रही। वैदिक काल में 'सभा' और 'समिति' जैसी

संस्थाओं में महिलाओं की आंशिक उपस्थिति का उल्लेख मिलता है, जो यह संकेत देता है कि सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका पूरी तरह निष्क्रिय नहीं थी। तथापि समय के साथ पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती गई और महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका क्रमशः सीमित होती चली गई।[1] मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति और अधिक संकुचित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज में उनका नेतृत्व लगभग नगण्य हो गया। सामाजिक रूढ़ियों, अशिक्षा तथा आर्थिक निर्भरता ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया। औपनिवेशिक काल में भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अत्यंत सीमित रही, यद्यपि सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिला शिक्षा एवं अधिकारों के प्रश्न को उठाया। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया, जिससे सामाजिक चेतना का वातावरण निर्मित हुआ।[2] स्वतंत्रता आंदोलन ने महिला नेतृत्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर सार्वजनिक जीवन में सक्रियता दिखाई। महात्मा गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सामाजिक परिवर्तन की अग्रणी शक्ति कहा। गांधी का मानना था कि महिलाओं की भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक नैतिक तथा संवेदनशील बनेगी।[3] स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं की सक्रियता ने भविष्य में उनके राजनीतिक नेतृत्व की आधारभूमि तैयार की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया, किंतु ग्रामीण स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित ही रही। प्रारंभिक दशकों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, क्योंकि सामाजिक संरचना और राजनीतिक वातावरण अभी भी पुरुष–प्रधान था। 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की, परंतु उस समय महिलाओं की भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए गए।[4]

महिला नेतृत्व के वास्तविक विस्तार की प्रक्रिया 1990 के दशक में प्रारंभ हुई, जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की दिशा में प्रयास तेज हुए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने महिलाओं के लिए कम से कम एक–तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया, जिसने ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व के विकास को नई दिशा दी। इस संवैधानिक प्रावधान के परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में निर्वाचित होकर नेतृत्व की भूमिका में आईं।[5]इस आरक्षण नीति ने ना केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, बल्कि सामाजिक चेतना एवं आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ किया। महिलाओं ने स्थानीय समस्याओं जैसे जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, पोषण तथा स्वच्छता को प्राथमिकता दी, जिससे ग्रामीण विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। कई राज्यों ने महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक किया , जिससे महिला नेतृत्व और अधिक सशक्त हुआ।[6]

इस प्रकार ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व का ऐतिहासिक विकास सामाजिक सुधार आंदोलनों, स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक प्रावधानों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम है। जो ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है साथ ही सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नई इबादत भी लिख रहा है।

महिला नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन–

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व का उभार केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने विकास की प्राथमिकताओं को पुनर्परिभाषित करने का कार्य किया है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण शासन में बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता था, जबकि महिला नेतृत्व ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। इस परिवर्तन ने विकास को अधिक मानवीय एवं समावेशी स्वरूप प्रदान किया है। महिला प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतों में विद्यालयों की उपस्थिति, छात्राओं का नामांकन और मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन बेहतर पाया गया। महिला प्रतिनिधियों

ने विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, शौचालय निर्माण तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है।[7]

स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में भी महिला नेतृत्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने, टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने तथा आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करने में भी महिला प्रतिनिधियों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण आहार तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य संकेतकों में बेहतर सुधार हुआ है।[8]

महिला नेतृत्व ने स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। महिला प्रतिनिधियों ने सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाकर खुले में शौच की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास किया । इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई।[9]

सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में भी महिला नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिला प्रतिनिधियों ने जागरूकता फैलाने का कार्य किया। पंचायत स्तर पर इन मुद्दों को उठाकर उन्होंने सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाया है ,इससे ग्रामीण समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में धीरे–धीरे परिवर्तन देखने को मिला है। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूहों के गठन और प्रोत्साहन में भी महिला नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। महिला प्रतिनिधियों ने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्यम तथा बचत की ओर भी प्रेरित किया है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तो हुआ ही साथ ही साथ उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई।[10]

इस प्रकार महिला नेतृत्व ने ग्रामीण समाज में बहुआयामी परिवर्तन को जन्म दिया है। यह परिवर्तन केवल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना, लैंगिक समानता और सामुदायिक सहभागिता को भी मजबूत करता है। महिला नेतृत्व ने ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाकर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है।

महिला नेतृत्व और सुशासन–

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व ने सुशासन की अवधारणा को व्यवहारिक स्तर पर सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुशासन का तात्पर्य केवल प्रशासनिक दक्षता से नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता तथा न्यायसंगत निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इन मूल्यों को स्थानीय स्तर पर स्थापित करने में सकारात्मक योगदान दिया है। महिला प्रतिनिधियों ने शासन प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील तथा जनोन्मुख बनाते हुए विकास योजनाओं को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने का प्रयास किया है। महिला नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि उन्होंने स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकताएं दी है। खासकर जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्यालयों की स्थिति, आंगनवाड़ी सेवाएँ तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसे मुद्दों को पंचायत की कार्यसूची में प्रमुखता दी है। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हुआ साथ ही साथ ग्रामीण जनता का विश्वास भी पंचायती संस्थाओं के प्रति बढ़ा है। महिला प्रतिनिधियों ने ग्राम सभाओं के आयोजन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी आए दिनों देखने को मिल रही हैं।[11]

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने में भी महिला नेतृत्व ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला प्रतिनिधियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया है तथा भ्रष्टाचार को भी कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने लाभार्थियों के चयन में निष्पक्षता अपनाई है तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने का कार्य किया है। इससे शासन की विश्वसनीयता में लगातार वृद्धि हुई हैं जिससे सुशासन की अवधारणा और अधिक मजबूत हुई है।[12]

महिला नेतृत्व ने सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दिया है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के मुद्दों को पंचायत स्तर पर प्रमुखता से उठा रही है ,इससे विकास प्रक्रिया में समान अवसरों की सुनिश्चितता बढ़ी है। महिला प्रतिनिधियों ने विशेष रूप

से पोषण, महिला सुरक्षा, स्वयं सहायता समूहों तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे समावेशी विकास को नई दिशा मिल रही है।[13]
जनभागीदारी को बढ़ाने में भी महिला नेतृत्व प्रभावी सिद्ध हुआ है। महिला प्रतिनिधियों ने ग्राम सभाओं में लोगों को भाग लेने के लिए लगातार प्रेरित किया है जिससे सामुदायिक संवाद मजबूत हुआ है। परिणाम स्वरूप निर्णय प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक बनी है तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से संभव हुआ है। यह प्रक्रिया सुशासन के मूल तत्वोंकृपारदर्शिता, सहभागिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व ने सुशासन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। महिला प्रतिनिधियों ने प्रशासन को अधिक मानवीय, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाकर स्थानीय शासन की गुणवत्ता में सुधार किया है। यह परिवर्तन ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ–साथ विकास की प्रक्रिया को अधिक न्यायोन्मुख और प्रभावी बनाता है।

महिला नेतृत्व की चुनौतियाँ –

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व ने सामाजिक परिवर्तन एवं सुशासन को नई दिशा प्रदान की है, किन्तु इसके समक्ष अनेक संरचनात्मक, सामाजिक तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये चुनौतियाँ महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता को तो प्रभावित करती ही हैं साथ ही उनके नेतृत्व की क्षमता को भी सीमित करती हैं। जिनमें से प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं–

1. पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना– ग्रामीण समाज में परंपरागत पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी विद्यमान है, जिसके कारण महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र निर्णय लेने में कठिनाई होती है। कई बार महिलाओं की भूमिका औपचारिकता मात्र रह जाती है और वास्तविक निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। इससे महिला नेतृत्व की स्वायत्तता प्रभावित होती है।[14]

2. प्रॉक्सी नेतृत्व– अनेक पंचायतों में यह देखने को मिलता है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं। इस प्रवृत्ति को सामान्यतः ष्सरपंच पतिष संस्कृति कहा जाता है। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य कमजोर होता है तथा महिला नेतृत्व की वास्तविक क्षमता विकसित नहीं हो पाती है।[15]

3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव– ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित कई महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, योजनाओं एवं वित्तीय प्रबंधन की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है । शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी के कारण वे निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाने में खुद को असहज महसूस करती हैं। इससे उनके नेतृत्व की गुणवत्ता प्रभावित होती है।[16]

4. आर्थिक निर्भरता और संसाधनों की कमी– महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी नेतृत्व के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है। पंचायत स्तर पर सीमित वित्तीय संसाधन एवं वित्तीय अधिकारों का अभाव महिला प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को सीमित करता है। कई बार योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते है।[17]

5. प्रशासनिक और नौकरशाही बाधाएँ– स्थानीय प्रशासन एवं नौकरशाही की जटिल प्रक्रियाएँ भी महिला प्रतिनिधियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। प्रशासनिक सहयोग के अभाव में महिला प्रतिनिधियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे उनके नेतृत्व की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

6. सामाजिक रूढ़ियाँ और लैंगिक भेदभाव– ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण अभी भी मौजूद है। सार्वजनिक बैठकों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को कई बार सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। इससे उनके आत्मविश्वास तथा नेतृत्व क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।[18]

7. समय और पारिवारिक दायित्वों का दबाव–महिलाओं पर घरेलू कार्यों एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों का अतिरिक्त भार होता है, जिससे वे पंचायत के कार्यों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पातीं है। यह स्थिति उनके नेतृत्व को प्रभावी बनाने में बाधा उत्पन्न करती है।

8. राजनीतिक अनुभव का अभाव– राजनीतिक क्षेत्र में नए होने के कारण महिला प्रतिनिधियों को नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक समन्वय एवं संसदीय प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने में समय लगता है। अनुभव की कमी प्रारंभिक चरण में उनकी प्रभावशीलता को सीमित करती है।

सुझाव –

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व को प्रभावी बनाने तथा सुशासन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं–

1. क्षमता निर्माण एवं नियमित प्रशिक्षण – महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन, योजना निर्माण तथा कानूनों की जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे वे निर्णय प्रक्रिया में अधिक आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकेंगी जिससे नेतृत्व की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।[19]
2. वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करना – पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। महिला प्रतिनिधियों को बजट निर्माण तथा संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, जिससे वे विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।[20]
3. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा – वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक के उपयोग से शासन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है। महिला प्रतिनिधियों को ई–गवर्नेंस, ऑनलाइन योजना मॉनिटरिंग तथा डिजिटल संचार के प्रशिक्षण दिए जाएँ, जिससे उनकी प्रशासनिक दक्षता बढ़े।[21]
4. सामाजिक जागरूकता अभियान – ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इससे महिलाओं के नेतृत्व को सामाजिक स्वीकृति मिलेगी साथ ही पितृसत्तात्मक मानसिकता में भी परिवर्तन आएगा।
5. स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना – महिला स्वयं सहायता समूहों को पंचायतों के साथ जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी तथा नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होगी।[22]
6. प्रशासनिक सहयोग और मार्गदर्शन – स्थानीय प्रशासन द्वारा महिला प्रतिनिधियों को तकनीकी एवं प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएँ कम होंगी और सुशासन को बल मिलेगा।
7. शिक्षा और नेतृत्व विकास कार्यक्रम – महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिनमें संवाद कौशल, समस्या समाधान एवं सामुदायिक समन्वय जैसे विषय शामिल हों। इससे वे अधिक प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकेंगी।[23]
8. ग्राम सभा की सक्रियता बढ़ाना – ग्राम सभाओं को नियमित और प्रभावी बनाकर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा महिला नेतृत्व को मजबूत आधार मिलेगा।

निष्कर्ष–

ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व का उभार भारतीय लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभरा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया है, बल्कि सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। महिला प्रतिनिधियों ने स्थानीय शासन को अधिक संवेदनशील, सहभागी एवं उत्तरदायी बनाते हुए विकास की प्राथमिकताओं को जनसामान्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्संयोजित किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण तथा महिला अधिकारों जैसे विषयों को केंद्र में रखकर उन्होंने ग्रामीण समाज में समावेशी विकास की दिशा को मजबूत किया है।

हालांकि पितृसत्तात्मक मानसिकता, संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अनुभव का अभाव और प्रॉक्सी नेतृत्व जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, फिर भी महिला नेतृत्व की उपलब्धियाँ इन बाधाओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उचित प्रशिक्षण, संस्थागत समर्थन तथा सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व सामाजिक परिवर्तन और सुशासन के मध्य एक सशक्त सेतु के रूप में उभरकर सामने आया है। भविष्य में यदि महिला प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार, संसाधन एवं अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक न्यायसंगत, समावेशी तथा प्रभावी बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इस प्रकार

महिला नेतृत्व न केवल ग्रामीण विकास की आधारशिला है, बल्कि विकसित भारत के लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

संदर्भ सूची–

1. आर.एस. शर्मा, प्राचीन भारत का इतिहास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2008, पृ. 168– 174।
2. बी.एल. ग्रोवर एवं यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चंद प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017, पृ. 214– 219।
3. महात्मा गांधी, यंग इंडिया, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1921, पृ. 45–47।

4. Bharat Sarkar, Report of the Balwant Rai Mehta Committee, New Delhi, 1957, p. 27- 28।
5. M. Lakshmikant, Indian Polity, McGraw Hill Education, New Delhi, 2020, p. 33.8।
6. Nirmala Buch, Women in Panchayati Raj, Institute of Social Sciences, New Delhi, 2003, p. 104&109।
7. Esther Duflo and Raghabendra Chattopadhyay, "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India," Econometrica, Vol. 72, No. 5, 2004, p. 1415-1417.
8. Bina Agarwal, Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 189&192.
9. Ministry of Panchayati Raj, Study on Women's Participation in Panchayati Raj Institutions, Government of India, New Delhi, 2015, p. 51&56.
10. Naila Kabeer, Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought, Verso Publications, London, 1994, p. 275&281.
11. के. सी. विद्या, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2011, पृ. 118– 124।
12. सुनील कुमार सिंह, स्थानीय स्वशासन और सुशासन, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2016, पृ. 92– 98।
13. वी. एम. सिरसीकर, ग्रामीण शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013, पृ. 146– 154।
14. अर्चना द्विवेदी, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण नेतृत्व, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2014, पृ. 65–70।
15. रेखा शर्मा, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 101–105।
16. पी.एन. पांडेय, स्थानीय शासन और महिला नेतृत्व, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015, पृ. 88–92।
17. डी.सी. शर्मा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, 2011, पृ. 142–148।
18. मंजू सिंह, लैंगिक समानता और ग्रामीण समाज, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 55–59।
19. सुधा पाई, ग्रामीण राजनीति और महिला नेतृत्व, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2010, पृ. 131–137।
20 आर.पी. जोशी, पंचायती राज और विकेंद्रीकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2009, पृ. 174–179।
21. संजय उपाध्याय, ई–गवर्नेंस और स्थानीय प्रशासन, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2018, पृ. 91–96।
22. कुसुम शर्मा, स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2013, पृ. 120–123।
23. नीरजा गोपाल, महिला नेतृत्व का विकास, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2015, पृ. 83–85।